

न्यायालयः अरविन्द सिंह न्यायिक मणिस्ट्रेट पथमं श्रेणी,
नियमित जिला-टीकमगढ़ (मण्ड.)

आपॉल्पक०क०-८१५/२००६

संस्थापित दिनांक २६.०९.०६

बंकन आवेदन क्र० १३७२/८
 न्याय शुल्क २२/-
 दिनांक २९-९-१५

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शामा नियाई
जिला टीकमगढ़ (मण्ड.)

—अभियोजन

// इनाम //

1. संतराम चर्फ संतू पाल तनय झांसी, उम्र-३८ वर्ष, निवासी—ग्राम बनगुणा थाना—बड़आसामार झांसी।
2. मान सिंह तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-३५ वर्ष,
3. शेर सिंह तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-३४ वर्ष
4. अतर तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-४४ वर्ष
5. सुरेन्द्र सिंह तनय मेहताव सिंह, उम्र-४० वर्ष,
6. मुलायम (फरार घोषित) तनय मेहताव सिंह उम्र-३९ वर्ष, पांचो निवासी—जराय का भर बड़आसामगर जिला झांसी उम्मा।
7. धर्मन्द्र तनय नारायण खंगार, उम्र-३८ वर्ष,
8. हेमराज तनय शिवकरन खंगार, उम्र-४८ वर्ष,
9. स्मैश खंगार तनय स्मैश खंगार, उम्र-५५ वर्ष,
तीनों निवासी—ग्राम भगवतपुरा, थाना—सदर, बाजार झांसी उम्मा।
10. पप्पू उर्फ अवधेश तनय सुन्दरलाल तिवारी, उम्र-४५ वर्ष, निवासी—ग्राम पुतरी खेता, थाना—सौंदरी
11. चन्द्रशेखर तनय केंद्री शुक्ला, उम्र-५० वर्ष,
निवासी—सिविल लाईन झांसी उम्मा।

—अभियुक्तगण

- राज्य द्वारा सहायक जिला लोक-अभियोजन अधिकारी।
- अभियुक्तगण संतराम चर्फ संतू अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मान सिंह द्वारा अधिवक्ता श्री आरुआरू साहु।
- अभियुक्तगण पप्पू उर्फ अवधेश, स्मैश खंगार, हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा अधिवक्ता आरंभी खरे।
- अभियुक्त मुलायम सिंह यादव फरार घोषित।

अरविन्द सिंह
अधिकारी अभियुक्त प्रथम श्रेणी
नियमित जिला-टीकमगढ़ (मण्ड.)

(8178)

नोट:- अभियुक्त मुलायम सिंह यादव का प्रकरण में फरार हो जाने से उसके विलम्ब स्थाई गिरफ्तारी घारट जारी किया गया है तथा अन्य अभियुक्तगण रहनामा उर्फ संपूर्ण आतं रिंडु, सुरेन्द्र रिंडु, शेर रिंडु, गुन रिंडु, पणु सुर्ख अवधेश, रमेश खंगार हेमताज, पर्मद चन्द्रशेखर मुक्ता के संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

11 निर्णय 11

[आज दिनांक 11.08.2016 को घोषित]

01/ अभियुक्तगण के विलम्ब धारा 147, 148, 336, 427 मानदंडों के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.07.2005 को दिन में करी 10:00 बजे ग्राम-बासवान बरुआनाला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत विधि विलम्ब जमाव गहित किया जिसका सामान्य सद्व्यवहार राजेन्द्र नायक, कैलाश तिवारी एवं चंद्रेन्द्र लोगों का मानव जीवन संकटापन करना एवं मोटरसाईकिलों और जीव को ध्वनिग्रस्त कर रिट्टी कारित करना तथा अन्य अंपराध करना था तथा उक्त जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अंग्रेशरण में घातक आयुध राईफल, कट्टा, बंदूकों आदि से सुसज्जित होते हुए विधि विलम्ब जमाव में भाग लेकर बल या हिंसा का प्रयोग करके वलवा कारित किया एवं उसी समय स्पेक्षण या उत्तावलेपन से राईफल, कट्टा से फायर करके मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेत्र संकटापन किया एवं मोटरसाईकिले एवं जीप तोड़कर रिट्टी कारित की।

02/ अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजेन्द्र उर्फ राजू नायक ने थाना निवाड़ी आकर लिखित रिपोर्ट की थी कि वह सुनील वंशकार के साथ रेत खदान बासवान तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ में पार्टनर है। घटना दिनांक 20.07.2005 को सुबह 10:00 बजे के लगभग बासवान स्थित रेत खदान पर घाट पर माठों की सीमा में अपने साथियों व पार्टनरों संजय राय, सोनू जैन, कैलाश तिवारी एवं घाट पर कार्यरत कर्मचारियों कमलेश, सुरेन्द्र राय, सोनू तिवारी, राजेन्द्र राय, कल्लू रजक के साथ खाना खा रहे थे तभी आरोपीगण रमेश, हेमराज, घंटेन्द्र खंगार, मुलायम सिंह यादव, अतर सिंह यादव, मान सिंह यादव, सुरेन्द्र यादव, शेर यादव, चंद्रशेखर शुक्ला, अब्देश उर्फ पप्पू तिवारी, संतराम उर्फ संतू पाल एकराय होकर हथियारों से लेश होकर घटनास्थल ग्राम बासवान स्थित रेत खदान पर आए और बोले कि मादरचोद खदान चलाना है तो पचास हजार रुपया भहीना देना पड़ेगे नहीं तो ठेका नहीं चल पायेगा तथा गालियां देने लगे और घमकियां देने लगे, तब फरियादी ने कहा कि कोई चोरी का काम नहीं कर रहा हूं जो तुम्हें पचास हजार रुपया दूं फरियादी के इतना कहने पर रमेश खंगार ने अपने हाथ में ली हुई राईफल से फायर कर दिया जो उसके कंधे के पास से निकल गया। फरियादी लेट गया और बचाव करने लगा तब रमेश खंगार एवं उसके साथियों ने अवैध हथियार एवं कट्टा से उसके ऊपर और उसके साथियों के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। फरियादी और उनके साथी दौड़कर भागे और

11 दिन

स्पेशल एजेंसी रिपोर्ट

1/49

9/79

जान बचाई, गोके पर ००३० की सीमा में रखी उनकी भहिन्दा जीप नंबर एम.पी. १५ ए ०६४८ एवं होण्डा पेशन गोटरसाईकिल और वजाज कैलेवर मोटरसाईकल को पत्थर खण्डा आदि से बुरी तरह कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया।

03/ : फरियादी की लिखित रिपोर्ट पर आना निवाड़ी के अपराध क्रमांक १५१/०५ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना के अनुक्रम में घटना स्थल पर जाकर फरियादी के बताये अनुसार घटना स्थल पर नकशामौकों की तैयार किया गया, घटना से संबंधित साक्षीगण राजेन्द्र सोनू कैलाश नारायण, संजय, सुरेन्द्र राय, राजेन्द्र पुष्प प्रेमनारायण राय, कमलेश, कल्पू रजक, जोनू तिवारी और सुनील के कथन उनके बताए अनुसार लेखकद्वारा किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये। अभियुक्तगण को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मंकान तालासी ली गई, घटनास्थल से उक्त जीप एवं क्षतिग्रस्त मोटरसाईकल जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय के समझ पेश किया गया।

04/ अभियुक्तगण को निर्णय के पैसा एक में वर्णित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने अपराध घटित किया जाना अस्वीकार किया तथा धारा 313 दप्रसं के तहत परीक्षण किये जाने पर अभियोजन साक्षीयों के कथनों को अस्वीकार किया तथा व्यक्त किया कि, वह निर्देश है, उन्हें इस केवे में झूठा फसाया गया है अभियुक्त मान सिंह का कहना है कि साक्षी कैलाश तिवारी के रिपोर्ट कर्ता राजेन्द्र नायक रिश्तेदार हैं, कैलाश तिवारी से उसकी रंजिश चली आ रही है उसने पूर्व में अपने माई भनीप तिवारी की हत्या के केस में झूठा फसाया गया था तथा इस केस में भी रंजिशन झूठा फसाया गया है परंतु वचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ।

05/ प्रकरण के निष्करण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

"क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 20.07.2005 को दिन में करीब 10:00 बजे ग्राम-बासवान बर्जानानाला आना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत विधि विरुद्ध जमाव गठित किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी राजेन्द्र नायक, कैलाश तिवारी एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन करना एवं मोटरसाईकिल और जीप को क्षतिग्रस्त कर रिष्टी कारित करना व अन्य अपराध करना था तथा उक्त जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रणीय मे -

1-वल या हिंसा का प्रयोग करे वलवा कारित किया ?

2-घातक आयुध से सुसज्जित होकर वलवा कारित किया ?

3-उसी समय उपेक्षा या उतावलेपन से राईफल, कट्टा से फायर करके मानव जीवन या दैयकित्क क्षेत्र संकटापन किया ?

4-मोटरसाईकिले एवं जीप तोड़कर रिष्टी कारित की ?

11.5.15
अरविन्द सिंह

अधिकारी नियमित उपायमंत्री

राकोरण विवेचना पर्यं निष्कर्ष :-

06/ उच्च सभी विचारणीय प्रश्नों का एक ही घटना से संबंधित होने के कारण, साथ्य के दौहराग रो बगो के लिये पूर्ण साथ्य विवेचन में सुविधा की दृष्टि से रामी-प्रश्नों को एक साथ लिया जा रहा है।

07/ अग्रियोजनपता की ओर से मामले के सम्बन्धित में लखनसाल चौबे (अ०सा०-१), कमलेश रजक (अ०सा०-२), सुरेन्द्र राय (अ०सा०-३), संजय राय (अ०सा०-४), नैजनाथ सिंह (अ०सा०-५), रोशन जैन, चर्क सोनू (अ०सा०-६), राजेन्द्र नायक (अ०सा०-७), कैलाश तिवारी (अ०सा०-८) को परीक्षित कराया गया। बघावपास की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08/ फरियादी राजेन्द्र नायक उर्फ राजू अ०सा० ७ का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह आरोपीगण चन्द्रशेखर शुक्ला, पृष्ठ उर्फ अवधेश, रमेश खंगार, अतर सिंह, संतराम, मानसिंह, शेरसिंह और सुरेन्द्र सिंह की जानता है इस साक्षी ने पहले व्यक्त किया कि वह आरोपीगण घर्मन्द्र खंगार और हेमराज को नहीं जानता है परंतु इस साक्षी ने अपने परीक्षण के पैरा 4 में यह व्यक्त किया कि आरोपी हेमराज एवं घर्मन्द्र खंगार मौके पर भौजूद थे लेकिन वे लोग पीछे की तरफ थे और उन्होंने पीछे से फाइरिंग की थी तथा वह इन आरोपीगण को भी जानता है। इस साक्षी के उक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी जो इस प्रकरण में फरियादी है उक्त साक्षी दसों आरोपीगणों को पहचानता है। इस साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि घटना वर्ष 2005 की गर्मियों के समय की सुबह 10:00 बजे की है इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में भी यह बताया है कि घटना दिनांक 20.07.2005 की बुधवार दिन की है।

09/ फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा० ७ का कहना है कि घटना ग्राम बासवान में रेत खदान के पास की है, उस समय वह बासवान में रेत खदान पर बैठा था उसके साथ कैलाश, तिवारी, सोनू तिवारी, सुनील बंशकार आदि लोग बैठे थे। रेत खदान का ठेका सुनील बंशकार के नाम से था जिसमें वह, कैलाश तिवारी, सोनू तिवारी तथा वे कर्मचारी और थे यह लोग भी पार्टनर थे। सुबह दस बजे वे लोग खाना खा रहे थे तभी रमेश खंगार, पृष्ठ उर्फ अवधेश, चन्द्रशेखर शुक्ला, मानसिंह, शेरसिंह, अतर सिंह, मुलायम यादव एवं संतराम वहाँ आ गए तथा उक्त आरोपीगण बोले की यहाँ हमारा सज्ज चलता है और हमारे बिना तुम रेत का ठेका नहीं चला, पाओगे तथा या तो रेत खदान के ठेका में उन्हे पार्टनर बनाओ या पचास हजार रुपया महीना दो, इस बात पर फरियादी राजेन्द्र तथा उसके साथ वालों ने आरोपीगण से कहा कि वह रुपया नहीं देंगे और न ही पार्टनर बनायेंगे। इसी बात पर आरोपीगण मादरवोद की गोलियां देने लगे और बोले की यहाँ रहने नहीं देंगे एवं उसी समय आरोपी स्मैश खंगार, पृष्ठ उर्फ अवधेश, चन्द्रशेखर शुक्ला, शेर सिंह, मुलायम सिंह, मानसिंह, अतर सिंह और संतराम ये सभी लोग राईफल, 315 बोर की दुनाली तथा एक नाली बंदूर लिए हुए थे तथा उनके साथ जो लोग पीछे थे उनके हाथ में कौन से हथियार थे वह देख नहीं पाया लेकिन उन सभी लोगों ने फाईरिंग शुरू कर दी। मौके पर रखी हुई जीप और तीन मोटरसाइकिलों में गोलियां लगी थीं। फिर फरियादी और उसके साथ के लोग पीछे की तरफ भागे थे उनके पीछे भी आरोपीगण ने फाईरिंग की थी इससे वे लोग ढौँडे थे इसके बाद मौके पर रखी हुई जीप एवं मोटरसाइकिलें आरोपीगण उठा ले गए थे और उनमें टोड-फोड़ की ओर

संग्रहीत हुए

अराविन्द सिंह

न्यायिक मजिस्ट्रेट मूल्य सेवा

8/81

पर्याप्त से कुचला और उसी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद फरियादी और सरकी साथ के लोग नियासी थाने में आए और फरियादी राजेन्द्र ने लिखित रिपोर्ट की थी उसके हासा की गई लिखित रिपोर्ट प्रपी. 01 है जिसके पुर से पुर माम पर उसने अपने हस्ताक्षर होना चाहा है।

10/ अभियोजन के अन्य साक्षी कैलाश तिवारी ग्राम्या. 8 ने भी फरियादी का समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन कथनों में यक्का किया कि वह आरोपी मुलायम सिंह यादव, अत्तर सिंह यादव, मान सिंह यादव, सुरेन्द्र सिंह यादव, शेख यादव का जानता है तथा शेष आरोपीगण को खट्टा से नहीं जानता है लेकिन सामने थाने पर पहचान लेगा। घटना दिनांक को वह बासवान घाट पर रेत खदान में पार्टनर था ठेका सुनील वर्चकार के नाम पर था घटना के समय रेत खदान पर राजेन्द्र नायक, संजय यादव, कमलेश कुमार, सुरेन्द्र राय, सोनू तिवारी, कल्तु रजक, सोनू जैन और अन्य लोग थे वे सभी लोग खदान पर मौजूद थे कुछ लोग खाला था रहे थे और कुछ दैते थे रेत खदान पर सात-आठ लोग बन्दूक, कट्टा व रिवाल्वर लेकर आए तथा जो लोग हथियार लेकर आए उसमें अत्तर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र यादव, शेख यादव, मानसिंह तथा संतराम पालं तथा इनके साथ चार-पांच लोग और थे तथा उपरोक्त लोगों ने आकर कहा कि रेत खदान का ठेका चलाना है तो पचास हजार रुपये का महिना दे नहीं तो ठेका नहीं चलने देंगे एवं कट्टा, बन्दूकों से फायर कियां तथा मौके पर बौद्धी अग्रवाल की मोटरसाईकिल रखी थी तथा एक मोटरसाईकिल भूखत कौशिक की थी जिसे वह लेकर भया था आरोपीगण ने सरिया, पत्थर, खंडा पटकं कर दोनों मोटरसाईकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था तथा सोनू जैन की मौके पर ही जीप मी थी वह मी आरोपीगणों ने क्षतिग्रस्त कर दी थी दोनों मोटरसाईकिलों को रिपेयरिंग में लगभग 35,000/- रुपये लगे थे तथा जीप में भी नुकसान हुआ था।

11/ इस साक्षी ने न्यायालय में उपरिथित आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर सुकला, अवधेश तिवारी को देखकर बताया कि ये लोग घटना के समय मौजूद नहीं थे। इस साक्षी ने न्यायालय द्वाश सूचक प्रस्तुत पूछे जाने पर भी इस बात से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रपी. 11 में यह नहीं बताया था कि आरोपीगण के साथ में रमेश खंगार हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर सुकला तथा अवधेश तिवारी भी आए थे एवं उन्होंने भी पचास हजार रुपयों की मांग की थी और फायर किए थे एवं गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी। इस साक्षी को सुझाव दिए जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि ऐसा नहीं है कि उक्त पांचों आरोपीगण से उसने न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिया है इसलिए वह सही बात नहीं बता रहा है। इस साक्षी ने अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन किया है तथा केवल पांच आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर-सुकला तथा अवधेश तिवारी का घटनास्थल पर उपरिथित होने से इंकार किया है। परंतु इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में पैसा तीन में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर और क्या हुआ था उसे आज याद नहीं है क्योंकि घटना को काफी समय हो गया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 20.07.05 की है एवं इस साक्षी के कथन न्यायालय में दिनांक 07.09.2013 को अर्थात् घटना के करीब आठ साल बाद हुए हैं तथा इतने दिनों बाद वह घटना में रामिल सभी आरोपीगणों को नहीं पहचान पाया तो यह कोई अकर्ज की बोत नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस साक्षी ने आरोपीगण अत्तर सिंह,

11.25

अरोपी द. सिंह-

कार्यक्रम अधिकारी पर्यावरण विभाग

गोकुल पाल-पुनर्जागरण भवन

प्रशायम रिहू, सुरेन्द्र रिहू, शेख, संतराम के साथ चार पाँच लोगों का और होने वाला था। यह दूसरे कथनों से यह रोमांट होता है कि आरोपीगण, करीब दर-दराह तोग थे। साथ ही फरियादी राजेन्द्र नायक अप्सा० 07 रोमांट लग से सभी आरोपीगण की पहचान की है ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय रियारी अप्सा० 8 द्वारा कुछ आरोपीगण को न पाहता रहे तो यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण रमेश, बर्मन्ड, हेमरज, चन्द्रशेखर, अमरेश घटना में शामिल नहीं थे।

12/ अभियोजन के अन्य साक्षी प्रधान आरक्षक लखनस्थल चौधे अप्सा० 1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में यहां किया कि वह दिनांक 20.07.2005 में थाना निवाड़ी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को फरियादी राजेन्द्र नायक एवं राष्ट्रीय पुत्र रामसखन नायक ने थाना आकर एक लिखित आवेदन थाना प्रमाणी के नाम से पेश किया था जो प्रपी. 01 है उक्त लिखित आवेदन के आधार पर उसने थाना निवाड़ी के अपराध क्रमांक 151/05 पर अंतर्गत आरा 147, 148, 149, 336, 427, 506 आदि के अपराध की कायमी आरोपीगण के विरुद्ध की थी। उसके द्वारा की गई कायमी रिपोर्ट प्रपी. 02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने जो आवेदन दिया था वह थाना प्रमाणी के नाम से था तथा थाना प्रमाणी ने कायमी करने के संबंध में उक्त आवेदन मार्क नहीं किया था परंतु इस साक्षी ने इस बात से इकार किया कि उसने गलत अपराध की कायमी बिना किसी कारण के की है। यह साक्षी एक सासकीय सेवक है तथा उसने बताया है कि वह ग्रामान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था तथा उसके द्वारा लेख की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी. 02 विष अनुसार लेख की गई थी। अतः इस साक्षी के कथनों से एवं फरियादी द्वारा थाने में घटना के संबंध में घटना के तुरंत बाद लिखित आवेदन दिया जाना एवं उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम होने से अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

13/ विवेचक बैंडनाथ चिंह अप्सा० 5 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक 20.07.2005 को थाना निवाड़ी में पदस्थ था। थाना प्रमाणी निवाड़ी द्वारा उसे अपराध क्रमांक 151/05 की केश डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी विवेचना के दौरान घटनास्थल पर गया था और फरियादी राजेन्द्र नायक की नियानदेही पर घटनास्थल का मानचित्र भौके पर उसके द्वारा बनाया गया था जो प्रपी. 06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी राजेन्द्र नायक अप्सा० 7 एवं कैलाश तिवारी अप्सा० 8 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी और सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त साक्षियों के कथनों से घटनास्थल प्रमाणित हो रहा है तथा अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

14/ विवेचक बैंडनाथ चिंह अप्सा० 5 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि उसने घटनास्थल पोहा घाट से साक्षी सोनू तिवारी एवं अनिल के समान एक जीप महिन्द्रा क्रमांक एम्पी. 15 ए 0648, एक मोटरसाईकिल हिसोहोण्डा प्रेशन जिसका चैम्पियन नम्बर 0262/ई 1628, एक बजाज कैलिकर मोटरसाईकिल जिस पर प्लैट नंबर आरजे. 011/एम 2094 था, जापे कर जप्ती पंचनामा बनाया था जो प्रपी. 7 है जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है उक्त जप्ती पंचनामा प्रपी. 7 के संबंध में इस साक्षी के कथनों को अभियुक्तगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है इसलिए इस

संस्कृत चिंह
फरियादी रिपोर्ट प्रथम थेए
निवाड़ी थाना बैंड

साक्षी के उक्त कथन पूर्णतः अखण्डनीय है और विवक्तनीय है तथा जप्ती पंचनामा प्राप्ती ०१ के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल से जप्ता की गई मोटर ०२ के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल से जप्ता की गई मोटर साइकिल और जीप शत्रियरों हालत में थी तथा जीप में दूट-फूट होकर करीब दस हजार का नुकसान एवं हीरो होण्डा पैगन मोटरसाइकिल में करीब पच्चीस हजार का नुकसान हजार का नुकसान एवं बजाज कैलाश फैसिल में करीब पच्चदह हजार का नुकसान हुआ था। फरियादी राजेन्द्र नायक आठसाठ ०७ एवं कैलाश तिवारी अठसाठ ८ ने भी अपने कथनों में उक्त मोटरसाइकिल और जीप को आरोपीगण द्वारा शत्रियस्त करना बताया है। आता ऐसी रिधति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटनास्थल पर मोटरसाइकिलों और जीप में तोड़-फोड़ कर सहै श्रातिग्रस्त किया गया था।

१५/ विवेचक वैजनाथ सिंह अठसाठ ५ ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया उसने आरोपी रमेश, हेमराज, धर्मेन्द्र, संतराम, अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मान सिंह, चन्द्रशेखर, पण्डु उर्फ अक्वेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया था जो प्राप्ती ४ है जिसके ए से ए माम पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गिरफ्तारी पंचनामा चुनौती के अमाव में पूर्णतः विवक्तनीय है जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने अपने कथनों में व्यक्त किया कि उसने राजेन्द्र, सोनू कैलाश नारायण, संजय, सुरेन्द्र राय, राजेन्द्र पुत्र ग्रेमनारायण राय, कमलेश, कल्पू रजक, सोनू तिवारी और सुरील के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे। इस साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी हेमराज, रमेश, धर्मेन्द्र, मुलायम सिंह, अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह के मकान की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा बनाए थे जो प्राप्ती ४, ९ हैं जिनके ए से ए माम पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त तलाशी पंचनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त तलाशी बेसुद रही थी, परंतु आरोपीगण के घर से घटना में प्रयुक्त हथियार बंदूक, कट्टा आदि जप्त न होने मात्र से अभियोजन प्रकरण में कोई संदेह नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सामान्य सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध हथियारों को यदि किसी घटना में प्रयोग करेगा तो वह उन हथियारों को अपने घर में नहीं रखेगा।

१६/ बचाव पक्ष का तर्क है कि आरोपीगण ने कोई घटना कारित नहीं की है और न ही किन्हीं अवैध हथियारों का प्रयोग किया है इसीलिए प्रकरण में आरोपीगण से कोई भी हथियार आदि जप्त नहीं हुए हैं, परंतु यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त हथियार पुलिस द्वारा जप्त न कर दाना यह विवेचना में करी हो सकती है परंतु विवेचना में रह गई कमी का लाभ अभियुक्तगणों को प्रदान नहीं किया जा सकता।

१७/ अभियोजन के अन्य साक्षी कमलेश अठसाठ २, सुरेन्द्र कुमार अठसाठ ३, संजय राय अठसाठ ४, रोशन जैन उर्फ सोनू अठसाठ ६ ने अपने न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण को नहीं पहचाना है और न ही घटना उनके सामने होना बताई है तथा न ही अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचकानुसन पूछे जाने पर भी उक्त साक्षियों ने अभियोजन प्रकरण का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः उक्त साक्षियों के कथनों का अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

१८/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर०बी० खरे का तर्क है कि घटना कहां पर हुई एवं वास्तव में कौन सी रेत खदान और वह किसके नाम पर थी इसके संबंध में अभियोजन की ओर से न तो उक्त रेत खदान की लीज प्रकरण में गेश की गई है और

न ही जिसके नाम लीज बताई जा रही है उस साक्षी सुनील वंशकार को अधिकृत कराया गया है, साक्षी राजेन्द्र नायक ने अपने प्रतिपाठीदण्ड मे भी रवीकार किया है कि रेत खदान किस सर्वे नंबर पर है वह नहीं बता सकता एवं ठेके की अवधि कब से कब तक की थी वह नहीं बता सकता इसलिए उक्त खदान और घटनारथत ही प्रमाणित नहीं हो सकता है, तोकिन उक्त साक्षी ने यह बताया है कि ठेके का रकवा 5 ऐकड़ था तथा घटना को करीब 5-6 सांस हो गये हैं इसलिए उसे मौखिक रूप से उक्त चीजे याद नहीं है। उक्त साक्षी का स्पष्टीकरण उचित है। साथ छी यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि घटनारथत पर जो विवाद हुआ वह रेत खदान की लीज के संबंध में नहीं है बल्कि आरोपीगण द्वारा घटनारथत पर आकर विधि विळङ्ग जमाव गठित कर फायर करना एवं रिट्री कारित करने का है। जिसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में मात्र रेत खदान की लीज प्रस्तुत न होने से अभियोजन प्रकरण संदिग्ध नहीं माना जा सकता। अतः बचाव पक्ष के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

19/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आरण्हो खरे का तर्क है कि साक्षी राजेन्द्र नायक ने बताया है कि वह पार्टनर है, किन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं है उक्त तर्क के परिपेक्ष्य में यह ध्यान देने योग्य है राजेन्द्र नायक अ.सा.7 ने अपने नायालयीन कथनों में बताया है कि रेत खदान का ठेका सुनील वंशकार के नाम था जिसमे वह एवं कैलाश तिवारी पार्टनर थे तथा यहाँ पर विवाद पार्टनर होने का नहीं है इसलिए उक्त संबंध में कोई दस्तावेज न पेश किये जाने का विपरीत प्रमाव अभियोजन प्रकरण पर नहीं पड़ेगा इसलिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

20/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मोटरसाईकिल व जीप के मालिकों का परीक्षण नहीं हुआ है इसलिए किसे रिट्री कारित हुई यह स्पष्ट नहीं हो रहा है परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रिट्री के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे, यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव जानता है कि वह किसी सम्पत्ति की क्षति करके किसी व्यक्ति को चाहे, वह सम्पत्ति किसी व्यक्ति की हो या नहीं, सदौष हानि या नुकसान कारित करे। इस प्रकरण में आरोपीगण द्वारा मोटरसाईकिले एवं जीप मे जानबूझ कर तोड़फोड़ कर रिट्री कारित की गई है। अतः उक्त तर्क स्वीकार योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है।

21/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आरण्हो खरे का तर्क है कि साक्षीयों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि कौन सा आरोपी कौन सा हथियार लिये था या रेत खदान चलाने से किसने चेका, और किसने घमकी दी यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में साक्षी कैलाश अ.सा.-8 ने अपने प्रतिरोक्षण मे यह स्वीकार किया है कि अतरसिंह के हाथ मे छोटी बट्टू थी, सुरेन्द्र के हाथ मे पत्थर एवं शेरू यादव के पास भी कट्टा था एवं दो अज्ञात लोगो के हाथ मे बड़ी बट्टू थी तथा शेष उसे ध्यान नहीं है तथा सभी लोगो ने सामुहिक रूप से पैसे मांगे थे तथा किसी व्यक्ति विशेष को सम्बोधित करते हुए पैसे नहीं मांगे थे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी व्यक्ति पर 10-12 लोग मिलकर कट्टा बट्टूको से फायर करेंगे तथा किसी व्यक्ति को

11.8.15

अरविन्द सिंह
स्पष्टीकरण बिजिस्ट्रॉट प्रधान श्रीगी

गय फ़ारित होगा तब ऐसी स्थिति मे वह घटना का ज्यो के त्यो बृहत बता सके ऐसी उपायित उससे नहीं की जा सकती साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना होने के तोई साल बाद साक्षी के कथन न्यायालय मे हुए है इसलिए उससे ज्यो के त्यो घटना का गृहांत बताये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती । अतः बताव पक्ष का उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है ।

22/ बताव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आरोआरसाहू का तर्क है कि सन् 1992 मे साक्षी कैलाश तिवारी के माई मीष तिवारी का मर्डर हुआ था जिसने अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र, मानसिंह आदि तोग मुट्टिजम ये तथा वरी हो गये थे उक्त प्रकरण मे ऐसी चन्द्रशेखर शुभता अधिवक्ता ने की थी इसलिए उक्त रजिश के परिणाम स्वरूप यह झूठा केस आरोपीगण पर बनवाया गया है । साक्षी कैलाश तिवारी अ.सा.ठ ने अपने प्रतिपारीण के पैरा 18 मे यह स्वीकार किया है कि उसके माई की हत्या का आमता उक्त आरोपीगण के खिलाफ एवं वर्तमान आरोपी अतरसिंह और मुलायम सिंह वही लोग है एवं आरोपीगण शेरसिंह, मानसिंह, व सुरेन्द्र सिंह आरोपी अतर सिंह के समें भाई है । इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण अतर बौद्ध से उसके माई मीष तिवारी की हत्या की बाद से रजिश से स्खता है । साक्षी ने स्वतः का कि इन लोगों ने उसके माई मीष की हत्या नहीं की थी इसलिए उसने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी थी इसलिए वह वरी भी हो गये थे । उक्त स्थिति ने जब इस साक्षी ने उक्त मनीष तिवारी की हत्या वाले प्रकरण मे आरोपीगण के विरुद्ध गवाही तक नहीं दी तब वह उनसे रजिश स्खता हो यह नहीं माना जा सकता । साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह प्रकरण सन् 1992 का बताया गया है तथा यह कहना सन् 2005 की अशृत करीब 13 साल बाद की है ऐसी स्थिति मे यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण को रंजिशन इस मामले मे झूठा फ़साया होगा । अतः उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है ।

23/ अभियोजन के साक्षी फरियादी राजेन्द्र नायक अ.सा.०-७ एवं कैलाश तिवारी अ.सा.०-८ ने अपने न्यायालयीन कथनो मे अभियोजन प्रकरण का धूर्जतः समर्थन किया है । तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखन लखनलाल चौधे अ.सा.०-१ एवं विवेचक बैजनाथ सिंह अ.सा.०-५ के कथनो से भी अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन हो रहा है । उक्त साक्षीयो के प्रतिपारीण मे भी ऐसे कोई तात्परिक विरोधाभाव प्रकट नहीं हुए है जिनसे उनपर कोई युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न होता है । अतः उक्त साक्षी पूर्णतः विश्वनीय है । यद्यपि अभियोजन के अन्य साक्षीयों ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है परन्तु प्रकरण की गभीर परिस्थितियो एवं आरोपीगण के कृत्य को देखते हुए इस समावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन साक्षीयों ने दबाव बंश या बुरीई के डर से न्यायालय मे सत्य कथन न दिये हो ।

24/ अतः ऐसी स्थिति मे सभी साक्षीयोंद्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न किये जाने के बावजूद भी अभिलेख पर आई उक्त साक्षीय के विवेचन के परिणाम स्वरूप यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपीगण चन्द्रशेखर शुक्ला एवं उनके अवधेश तिवारी, रमेश खंगार, हेमंत खंगार, धर्मेन्द्र खंगार, अतरसिंह यादव, संतु उर्फ संतरम पाल, सुरेन्द्र, शेर सिंह यादव, मानसिंह यादव, मुलायम यादव ने घटना दिनांक 20.7.05 को दिन के करीब 11.00 बजे घटना स्थल बज्जाम नाला ग्राम बासवान मे गोहा रेत घाट पर अन्तर्गत थाना निवाली मे विवि विलुप्त झाम गठित

अतरसिंह सिंह
विविध विवरण प्रथम ग्रन्थ
द्वितीय विवरण द्वितीय ग्रन्थ

किया जिसका सामन्य उद्देश्य करियादी सबैद नामह, कैसारी एवं अन्न सेनो का मानव जीवन संकटागम्य कर्त्ता एवं मोटरसाईकिसो और लैप को बहिर्यस्त कर रिसी कारित करना तथा अन्न खेतरात् करना गा तथा सकारात्मक के सदस्य होते हुए सामाजिक तदेश के व्यवस्थाएँ में प्रभाव आयुष चार्पिणि, करना, बदूकों आदि से गुरजित होते हुए यिह निष्ठा जगत पे नामा लेखन इस यह दिग्मा का प्रयोग करके व्यवस्था कारित किया एवं सरी समय सेवा गा साकावलेपन से साईकिन कटटा से छायर करके मानव जीवन या वैयकिन क्षेत्र संकटागम्य किया एवं मोटरसाईकिसो एवं लैप तोड़कर रिसी कारित की। आरोपी गुरुसागम रिंड यादव यादव है। यह गैर आरोपीण क्षम्भदेश शुक्रसा, पाण्डु चार्प अक्षेत्र तिवारी, रमेश खंगार, हेमराज लंगार, धर्मन्द खंगार, अतरसिंह यादव, रामु चार्प संतराम पाल, सुरेन्द्र सिंह यादव, मानसिंह यादव को घाटांत्रां की घारा 147, 148, 338, 427 के आरोपीयों में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध कियां जाता है। आरोपीण के जर्मानता मुवलोंके निरस्त कर उनको अग्रिक्षा में लिगा जाता है।

25/ आरोपीण के अपराध की गमीत्या को घान मे रखते हुए सिद्धदोष आरोपीण की अपराधी परिवेश अधिनियम के प्राक्वानों का सम दिया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। आरोपीण को दंड के प्रस्तुत पर सुने जाने के लिए निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

पुनरुच:-

11.8.15
असेक्युरिटीसीट
न्यायिक नियमित प्रस्तुति
नियाडी जिल टीकमठ (प्र.)

26/ आरोपीण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रस्तुत पर सुना गया उन्होंने व्यक्त किया कि आरोपीण का यह पहला अपराध है तथा वह विवात आठ वर्षों से विचारण का सामना कर रहे हैं तथा न्यायालय में लगातार उपरिषित होते रहे हैं। अतः कम से कम सजा दिये जाने का निवेदन कियो। एउटीओपीओ ने आरोपीण को कठोर से कठोर दंड देने का निवेदन किया प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए और इच्छ वात को घ्यान मे रखते हुए कि आरोपीण ने एकराय होकर सुनियोजित तरीके से अपराध किया, यदि आरोपीण को कठोर दंड नहीं दिया गया तो निश्चित ही समाज में इस प्रकार के अपराधों मे वृद्धि की समावना वढ़ेगी।

27/ आरोपीण को घारा 148 एवं 147 जाहवि मे दोषसिद्ध पाया गया है अतः उन्हें उक्त दोनों अपराधों में दण्डित किया जाना आवश्यक रही है, वल्कि केवल दोनों में से शुक्रतर अपराध में दण्डित किया जाना पर्याप्त है। अतः आरोपीण चन्द्रशेखर शुक्रां पाण्डु उर्फ अवधेश, तिवारी, सेश खंगार, हेमराज, खंगार, धर्मन्द खंगार, अतरसिंह यादव, संतु उर्फ संतराम पाल, सुरेन्द्र सिंह यादव, मानसिंह यादव को भाउदांत्रां की घारा 148 के अपराध के लिए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- सुपर्ये इस प्रकार कुल 10,000/- रुपये

11.8.15
असेक्युरिटीसीट
न्यायिक नियमित प्रस्तुति
नियाडी जिल टीकमठ (प्र.)

(तस हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। धारा 427 के अपराध के लिए प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000-3000/-रुपये इस प्रकार कुल 30,000/-रुपये (तीस हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है एवं धारा 336 के अपराध के लिए प्रत्येक को 03-03 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है। इस प्रकार सभी आरोपीगण को कुल मिलाकर चार-चार हजार रुपये कुल चालीस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड में व्यतिक्रम पर प्रत्येक को प्रत्येक व्यतिक्रम पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे। कारावास की सभी सजाए साथ-साथ भुगताई जावे।

28/ धारा 428 द०प्र०४०८० के तहत आरोपीगण द्वारा इस प्रकरण में निरोध में भोगी गई अवधि का प्रमाण पत्र बताकर संलग्न किया जावे।

29/ प्रकरण में जप्त मोटरसाईकिल हीरो होण्डा फेशन कमांक यू.पी. ७३ जे. ८९२६ चेविस नम्बर ०२६२१५११६२८ पूर्व से सुपुर्दगीनामा पर दी जा चुकी है सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भार-भुक्त हो। अपील की ददा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे। जबकि अन्य जनशुदा मोटरसाईकिल बजाज कैलिदर चैंबिक नम्बर डी.डी.एफ.वी.ए.च.जी. ९६८४५ एवं कमाण्डर महिंद्रा जीप डी.आई. कमांक एम.पी. १५ ए. ०६४८ उनके रजिस्टर्ड स्वामी को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् वापिस की जावे।

30/ निर्णय की प्रति आरोपीगण को निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व भेरे बोलने पर टंकित किया गया हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

[अधिकारी की जिले]

न्यायिक अधिकारी का निवासी
निवासी दोकान दृष्टि (प्र०१०)

[अधिकारी की जिले]

न्यायिक अधिकारी का निवासी
निवासी दोकान दृष्टि (प्र०१०)

विवरण शापत का विवाक ८-९-१५
उद्देश्य का देव की कही जिला १५-९-१५
कालक १०-१-१५
मे भेजवे
८-९-१५

ल ही विवाक
कालक १०-१-१५
मे भेजवे

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी *[अधिकारी]
प्रतिलिपि अनुमान
जिला दोकान दृष्टि*

में

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,
झौंरी

विषय :— अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य के कृत्यों की
जांच कराने के सम्बन्ध में
महोदया.

विनम्र निवेदन है करते हुये अवगत कराना है कि आज दिनांक—12.11.2021 को सरका
बनाम डालचन्द्र आदि के नाम से धारा—307 ताहि0 थाना नबावाद अपराध संख्या—701/201
एवं एस0टी0-11/2017 न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 द्वितीय) व
न्यायालय में तिथि नियत थी इसके पूर्व उपरोक्त प्रकरण में महोदया के न्यायालय में अन्तरण
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें कल दिनांक—11.11.2021 को पत्रावली मंगाएं
जाने हेतु मांग पत्र भी भेज दिया था मेरे द्वारा आज पता किया गया तो जानकारी हुई कि
पत्रावली नहीं भेजी गयी है और अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी अभियुक्तगण 1—
डालचन्द्र 2— महेन्द्र कुमार की ओर से उपस्थिति क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र इस आधार पर भेजा
गया कि अभियुक्तगणों को जान का खतरा था मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय में कार्यरत
श्री धमेन्द्र रायकवार व श्री उमेश वर्मा से भेजा गया श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा उनको जेल
भेजने की धमकी दी गई और अशिष्टता की गई महोदया के संज्ञान में यह भी लाना आवश्यक
है कि एक प्रकरण सरकार बनाम बॉसी अहिरवार धारा—302, 504 एवं 3/25 आयुध अधीनियम
जिसका सत्र परीक्षण संख्या—138,139/2012 में दिनांक—10.08.2021 को अभियुक्त के
गिरफ्तारी वारण्ट कर दिया गया था मात्र एक तिथि के गिरफ्तारी अधिपत्र पर अभियुक्त को
अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया और कई दिन बाद उसकी जमानत स्वीकार हुयी जमानत
आदेश अन्य मामलों से अलग था महोदया के संज्ञान में यह भी लाना है कि दूसरा प्रकरण
सरकार बनाम धीरेन्द्र श्रीवास आदि धारा—147,148,149,307 ताहि0 थाना मऊरानीपुर जिला
झौंसी जिसका सत्र परीक्षण संख्या—142/2008 में दिनांक—30.09.2021 को बिना जमानतीय
गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया जिसमें 22.10.2021 व 09.11.2021 की तिथि नियत की गयी
और 09.11.2021 को अभियुक्त अयोध्या का बिना जमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र वापस लिया
गया यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि एक तिथि के वारण्ट के अभियुक्त को जेल
में रखने के बाद जमानत पर अवमुक्त किया जाता है और दूसरे अभियुक्त अयोध्या को तीन
तिथियों का वारण्ट रिकॉल किया गया उनके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा
रहा है।

अतः अनुरोध है कि जांच कराकर कार्यवाही कराने की कृपा करें।
दिनांक—12.11.2021

प्रतिलिपि :—

श्री मान् नीरज तिवारी जी,
मननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति
माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज (इलाहाबाद)
उ0प्र0 को सादर प्रेषित

भवदीय
(चन्द्रशेखर शुक्ला)
अधिवक्ता
सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाऊड झौंसी

क्र. नं. १३४/२०१२
दिनांक ०८. ०६. २०१२

निःशुल्क वाताली

१००८२२। युवाराजावी और नवीन राजा (जीवा DSP)
वास्तविक समिति को अधिकारी वाताली के द्वारा
नियुक्त होनी चाही जानिए जहाँ दिनांक इसका
आवाज़ १२:०० PM को दिया गया वाताली कुप्रा:
१३१७ वर्ष का है

१०.०६.२०१२

वाताली शाम १३:०० बजे कुप्रा को इसी कुप्रा का
राजा और नवीन राजा वास्तविक समिति को अधिकारी होना।
वाताली लेज़ उपराज कुप्रा पेश की।

१००८२२।

वाताली लेज़ उपराज कुप्रा को इसी कुप्रा पराजी
जीवा-नवीन कर्को वास्तविक समिति को अधिकारी
नियुक्त के द्वारा लाइन वाली वाताली को प्रदिव्या
कुप्रा न कर्ते के बारें लाजी का आज्ञा दीक्षित है।
जिस जगह रखता।

परमाजी दिनांक २७.०६.२०१२ को वाताली के
ही अधिकारी होने १३४/१८ वाले को वाताली शुभालय
कर्ता

१०.०६.२०१२

११६०

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपि
जिला एवं सत्र न्यायालय, झाँसी
क्रमांक १३४/१८

निःशुल्क वाताली

प्राथमिक

नं० ३

९९
१५३१२

१६/३/१२

८/१०

२३/३/१२

६
२३/३/१२

न्यायालय
जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, झाँसी
(उत्तर प्रदेश)

विद्युतक प्राविली

३०-७-२१

मुझसे पूछना चाहिए इसका कोई संबंध
नहीं है। मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई संबंध
नहीं है।

लोगों के बारे में
२१/११/२१ (११/११)

जब तक जानकारी नहीं मिलती। अब उनका जानकारी नहीं मिलता। जब तक जानकारी नहीं मिलती। जब तक जानकारी नहीं मिलती।

100

अमरा

पता आया

पता आया

पता आया

6
२३/३/२१


२३/३/२१

१६/३/२१

१५/३/२१

प्रयोगकरण ग्रहण
ग्रहण पता देने की
तात्त्विक

100



1161

STNQ-142/2018
१५८/०८-०९/१२ श्रीवाल्ल

२२-१०-२१ पुष्टर एवं अधिकारी का विवरण

(०९
११)

देश उक्त लाली दो
आर निवास

गोपनीय

प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
८/११/२१

(२९
११)

X अन्य इच्छा प्रस्ताव

गोपनीय
मातृ शरीर का विनियोग

(१३)

प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
४८-११-२१ ने दर्शक
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग

०९-११-२१ दर्शक का विवरण

०९-११-२१

पुष्टर एवं अधिकारी का विवरण
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
२९-११-२१ ने दर्शक का विवरण

A.G/16/८४४१८

वाहु अधिकारी अधिकारी एवं अधिकारी का विवरण
का अनुत्तर बुग एवं अनुत्तर अधिकारी ५०,०००/-
का PB दर्शक विवरण एवं PB ५०,०००/-
प्रतिवार्षिक रक्त विनियोग
२९-११-२१ ने दर्शक का विवरण

A.G/16/८४४१८

८/७२

१६२

सत्य प्रातिलिपि

प्रस्ताव प्रातिलिपि का विवरण

जिला स. स. चायगढ़, झाँसी



दोःशुल्क प्रतिलिपि

5/8

100

15/9/2022


न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. द्वितीय झांसी

एस.टी.नं-142 सन 2018

सरकार बनाम धीरेन्द्र श्रीवास आदि

अं०धारा-147,148,149,452,307,504,506 आई०पी०सी०
थाना-मऊरानीपुर, जिला झांसी
मु०आ०सं०-254 / 2011

विषय:-बिना जमानती वारण्ट रिकॉल हेतु प्रार्थना पत्र



निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2021

वे 22.10.2021 को अभियुक्त/प्रार्थी के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट के आदेश कर दिये हैं। अभियुक्त/प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की थी, बल्कि अभियुक्त/प्रार्थी जिलाधिकारी महोदय झांसी के आदेश के अनुसार अन्य मुकदमे में जिला बदल चल रहा था, इस कारण नियत तिथि पर 30.09.2021 पर हाजिर अदालत नहीं आ सका था, जिसकी अभियुक्त/प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता को दी थी, अधिवक्ता ने अभियुक्त/प्रार्थी की हाजिरी माफी न्यायालय श्रीमान जी के यहां प्रस्तुत नहीं पाये जिस कारण अभियुक्त/प्रार्थी के बिना जमानती वारण्ट जारी कर दिये गये और दिनांक 22.10.2021 को अभियुक्त/प्रार्थी को नियत तिथि की जानकारी न होने की वजह से न्यायालय में उपसिथित नहीं हो सका था जिस कारण अभियुक्त/प्रार्थी के बिना जमानती वारण्ट आदेश पारित कर दिये गये हैं। अभियुक्त/प्रार्थी ने दिनांक 08.11.2021 को अपनी पत्रावली का मुआयना कराया तब अभियुक्त/प्रार्थी को जानकारी हुई कि अभियुक्त/प्रार्थी के खिलाफ दो तिथियों के बिना जमानती वारण्ट चल रहे हैं। अभियुक्त/प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा और तारीख पेशी पर नियमित रूप से आता रहेगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त/प्रार्थी के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट रिकॉल करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक:-09.11.2021

अभियुक्त/प्रार्थी

ज्ञापोऽप्याप्साद्

न्यायालय
तात्पुर
क्रान्ति

160
15/11/2021

अयोध्या प्रसाद पुत्र ग्यादीन
नि०-कौरैच्य थाना मऊरानीपुर, जिला झांसी

सत्य प्रातिलिपि

प्रधान प्रातिलिपि

जिला एवं सत्र न्यायालय, झांसी

1/63

8/93

न्यायालय
तात्पुर
क्रान्ति

23) ३/११२

२३) ३/११२

16/३/११२

160
15/11/2021



न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफ.टी.सी. द्वितीय झांसी

एस.टी.नं० 142 रान 2018

सरकार बनाम श्रीरेण्ड्र श्रीवासा आदि

अंधारा- 147, 148, 149, 152, 307, 504, 506 आडॉपीटी०

झांसी गढ़रानीपुर, जिला झांसी

गुजरात २५४ / २०११

शपथपत्र मिनजानिब अयोध्या प्रराद पुत्र न्यायीन नि०-कुरैचा थाना मऊरानीपुर, जिला झांसी शपथपूर्वक व्यान करता है कि:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त है तथा हालात मुकदमा से पूर्णतः वाकिफ है।
2. यह कि उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2021 व 22. 10.2021 को शपथकर्ता के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट के आदेश कर दिये हैं। शपथकर्ता ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की थी, बल्कि शपथकर्ता जिलाधिकारी महोदय झांसी के आदेश के अनुसार अन्य मुकदमे में जिला बदल चल रहा था, इस कारण नियत तिथि पर 30.09.2021 पर हाजिर अदालत नहीं आ सका था, जिसकी शपथकर्ता ने अपने अधिवक्ता को दी थी, अधिवक्ता ने शपथकर्ता की हाजिरी माफी न्यायालय श्रीमान जी के यहां प्रस्तुत नहीं पाये जिस कारण शपथकर्ता के बिना जमानती वारण्ट जारी कर दिये गये और दिनांक 22.10.2021 को शपथकर्ता को नियत तिथि की जानकारी न होने की वजह से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था जिस कारण शपथकर्ता के बिना जमानती वारण्ट आदेश पारित कर दिये गये हैं। शपथकर्ता ने दिनांक 08.11.2021 को अपनी पत्रावली का मुआयना कराया तब शपथकर्ता को जानकारी हुई कि शपथकर्ता के खिलाफ दो तिथियों के बिना जमानती वारण्ट चल रहे हैं। शपथकर्ता में ऐसी गलती नहीं करेगा और तारीख पेशी पर नियमित रूप से आता रहेगा। शपथकर्ता के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट रिकॉल करने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

तस्दीक:- यह कि उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक तस्दीक करता है कि शपथपत्र की दफा 1 लगायत 2 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें कोई भी तथ्य झूठ्यालय नहीं है यह तस्दीक आज दिनांक 09.11.2021 को अहाता कचहरी झांसी की गयी जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीरेण्ड्र श्रीवासा आदि के देश)

दिनांक ९/१/२१
मिनजानिब श्रीरेण्ड्र श्रीवासा आदि
झांसी गढ़रानीपुर
गुजरात २५४
फीस शुल्क पाया गया।

झांसी द्वारा

शपथकर्ता

शपथ आयुक्त सत्र प्रतिलिपि

8/94

एक रुपयोंके टेर्म वर्षीय ३०,०००

1164

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
उच्च न्यायालय प्रयागराज- इलाहाबाद ७०४०

विषय- न्यायालय F.T.C. II जांसी पीठासीन श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा की जा
रही अनियमित्ताओं के संबंध में।

श्रीमान जी,

उपरोक्त न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा
पक्षकारों का शाम 06:00 बजे तक तिथियां नियत ना कर अनावश्यक उत्पीड़न किया
जा रहा है एवं उक्त अधिकारी भृष्ट आचरण में लिप्त है एवं मनमाने तरीके से
पत्रावलियों में आदेश पारित करते हैं जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

1. सत्र परीक्षण सं0- 55/2010 रारकार बनाम भूपेन्द्र एवं अ0धारा 302/201
IPC थाना सीपरी बाजार के प्रकरण में कोविड संक्रमण के दौरान दिनांक
11.02.2021 को अभियुक्त कल्लू उर्फ राजकुमार के अधिवक्ता द्वारा दिए गए
हाजिर माफी प्रार्थन को निरस्त कर N.B.W जारी कर दिए गए दिनांक 16.
02.2021 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्थन कर NBW चिरस्त
करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिसे खारिज करते हुए अभियुक्त को कोविड
संक्रमण के समय में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तत्पश्चात् अभियुक्त की
ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय से स्वीकृत हुआ
इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा कोविड संक्रमण को दौर में एक ही तिथि
के NBW पर करीब 20 दिन अभियुक्त को जेल में रहना पड़ा इस प्रकार का
आचरण अत्याधिक कठोरता पूर्ण व गलत है।
2. यह कि सत्र परीक्षण सं0 244/19 बनाम सुधीर कुशवाहा धारा 380, 411,
413, 420 आई0पी0सी0 थाना नवाबाद में अभियुक्त 27.07.2020 को जेल
से रिहा होने के बाद एवं कोविड के कारण लॉकडाउन लग जाने के कारण व

Rajesh

Cont...2

मिस्ट्रीलॉग ठी.०५८१
०८०८ ०८ ०२-०३-२१

8/95

2/1

न्यायालय का काम-काज वाधित रहने के कारण उसे अग्रिम तिथि हेतु कोई सूचना न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई और दिनांक 05.01.2021 को NBW जारी कर दिये गये जिसमें वह 20.01.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एवं महज एक तिथि के बारण पर उसे काफी समय तक जेल में निस्वल्द्ध रहना पड़ा पीठासीन अधिकारी का यह आचरण अत्यन्त कठोर व आलोचनात्मक है।

3. यह कि सत्र परीक्षण सं0 168/13 सरकार बनाम मनमोहन एवं अन्य धारा 307 थाना नवाबाद में माननीय उच्च न्यायालय में समझौते के आधार पर इस न्यायालय से समझौतानामा तस्वीक किया जाकर उच्च न्यायालय भेजा जा चुका है फिर भी पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में नजदीक-नजदीक की तिथियां लगाकर एवं अभियुक्त को तीन चार बजे से पहले तिथि प्रदान नहीं करते हैं। पीठासीन अधिकारी का यह आचरण गलत व अशोभनीय है।
4. यह कि पीठासीन अधिकारी कथितप्रकरणों में भृष्ट आचरण में रहकर मनमाने तरीके से प्रभावित होकर फैसले देते हैं जिससे सम्पूर्ण न्यायपालिका की छवि धूमित हो रही है।
5. यह कि पीठासीन अधिकारी की विनल प्रकाश आर्या द्वारा शाम को 5-6 बजे तक पक्षकारों को रोककर रखा जाता है एवं जिन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं होनी होती है उनमें भी काफी विलम्ब से भोजन अवकाश के बाद ही तिथियां दी जाती हैं जिससे पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी होती है।
6. यह कि श्री विमल प्रकाश आर्या आर्थिक रूप से प्रभावित होकर (भृष्ट आचरण) में लिप्त है और कई अधिवक्ताओं द्वारा उनकी शिकायतें आप से मौखिक व लिखित रूप से की गई हैं।
7. यह कि श्री आर्या द्वारा सत्र परीक्षण सं0 203/13 सरकार बनाम महाराज एवं अन्य धारा 364 आई0पी0सी0 थाना गुरसरांय के प्रकरण में पक्षद्वारा

(3)

साक्ष्य होने के बावजूद एवं अभियुक्तगण द्वारा उनकी आर्थिक मांग की पूर्ति न कर पाने के कारण सजायाब किया गया है।

8. यह कि श्री आर्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय से अभियुक्त की जमानत हो जाने के बाद जमानत F.T.C.I के प्रभारी की हैसियत से धनराशि नियत करने से इन्कार कर दिया था तथा अधिवक्ता द्वारा आप को लिखित व मौखिक शिकायत करने पर सत्र न्यायाधीश के हस्तक्षेप करने पर जमानत धनराशि नियत की गई थी इस प्रकार श्री आर्या का आचरण न्यायिक गरिमा को विपरीत है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि FTC II झांसी श्री विमल प्रकाश आर्य के विस्तृद्विभागीय कार्यावाही करते हुए आपराधिक वादो का कार्य वापस लेने की कृपा करें।

दिनांक- ०३/१२/२१

प्रतिलिपि-

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी।

भवदीय
Ramshankar Yadav
रमशंकर कुमार यादव

(एडवोकेट)

(मो० न०- ९४५११३५००७)

55/2010

माला V.S. Bhupendra
Panlam

11.02.2021 यहां पर संस्कृति विषय के अध्यात्मक विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए एक विशेषज्ञ विद्युत उपकरण का विवरण दिया गया। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विभिन्न विधियों को सीखने के लिए उपयोगिता देता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विभिन्न विधियों को सीखने के लिए उपयोगिता देता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विभिन्न विधियों को सीखने के लिए उपयोगिता देता है।

11/2/2021
Bhupendra
9425116575

11.02.2021

विद्युत ऊर्जा के विभिन्न विधियों को सीखने के लिए उपयोगिता देता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विभिन्न विधियों को सीखने के लिए उपयोगिता देता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विभिन्न विधियों को सीखने के लिए उपयोगिता देता है।

11/2/2021
Bhupendra
9425116575

214

8198

S.T. No. 55/2010

2/3
33

कोल्हापुर ज़िले परिवारों लाला श्रीमती विनोद दिवाळी का
परिवार के लाला श्रीमती विनोद दिवाळी का उपर्युक्त सुनार
सातारा ज़िला ने होमोकैटीक वास्तविकता को देखा है।

— श्रीमती

श्रीमती विनोद 16.02.20 को वहाँ होमोकैटी को। कुलगां
जी 2000/प्रतिवार हो

✓ अग्र

11.02.2020

सत्य प्रतिलिपि

प्रदान प्रतिलिपिः
प्रदान प्रतिलिपिः

जी 2000/प्रतिवार, कुलगां



19
02

S.T. No - 244/2019

सं. नं. २०१५
हेमी एन्सी ग्रेड मासिक स्टोर

2025/01/21

5/01/21 एकावली के सभी उमीं पुनर्जीव
जागीरपत्रों द्वारा देखाया जाता है विभिन्न
समाजों का इसी नाम बोला जाता है जिसका
काम है कि दोहरा शोध कागीजों
को एक द्वितीय लेखन के लिए उपयोग
करने की प्रवादी वाहन देना है।

~~27.01.21 om-421 51~~

ADDITION

27-1121

ADDITIONAL

20:02.2021

पलावली वेश है। पुकार पर अधिकृत

पत्तावला पूरा। दुर्दृश्य उकाए न आवाज़ ।
निरिन उप-उग्रथा। अधि-सुधीर अनुमस्थित। मालिक

जेल से अधिकारी द्वारा नियन्त्रित होता है।
अधिकारी द्वारा कुशवाहा, धर्मेन्द्र शायकबाड़ी
की जंगलियां घाने की पुलिस बाटा गिरफ्तारी
बारंट पर गिरफ्तार करके आज-आजालय के
समक्ष प्रस्तुत किया गया। आदेश हड्डी की
उक्त अधिकारी का 309 Crpc. का वर्से
वनाकर अधिकारी को जिला कारगार प्रेषित किया
जाए। आदेश का अनुपलब्ध किया गया। परम्परा
वारने अपनी दिनी दि. 26.02.2021 को कराए।

~~सत्य प्रतिलिप~~

AD-5/FTC-2

२३/३/११
प्रधान अनिलपिक.

जिता एवं जीता व्यायालय, है-

आवश्यक स्टाम्प

प्राधना पत्र देने का

तारीख

97

1613121

2313111

۹۷۰

S.T.N.-168/13

संग्रह
१६/२०

प्राचीन लिपि प्रयोग
का संग्रह
१३ जुलाई २०२०

98
१५-३-२२

०७/७/२०

प्राचीन लिपि प्रयोग
का संग्रह
२७ जुलाई २०२०

२३/३/२२

२७.७.२०

प्राचीन लिपि प्रयोग
का संग्रह
१३.९.२०२० के लिए
२८.३.२१ के लिए
प्राचीन लिपि प्रयोग

१६/३/२२

०१.९.२०

प्राचीन लिपि प्रयोग
का संग्रह
१३.१०.२०२० के लिए

१६/३/२२

१०
११
२०

१७-१०-२०

प्राचीन लिपि प्रयोग
का संग्रह
१५-११-२०२० के लिए

98

१६/३/२२

४/१०१

२१७

ADDITION

10.11.2020 यहां पर कोई समीक्षा नहीं हो सकती है।
लेकिन इस दृश्य समाज के लिए जो
सारक बोर्ड ताकि विभिन्न 10.12.2020
जो अन्ते P.O. द्वारा हो।
अग्र

27
01
21

18/12/20 परामर्शदाता द्वारा यहां पर कोई
उपर्युक्त नहीं। प्रोटोकॉल अपनाया गया।
इसके लिए आवधि दिन 32 दिन - अग्रिम
लिए जाना चाहिए, जिसका लिए जाना चाहिए।
दिन 27.01.21 को विभिन्न F.O. द्वारा हो।

10.11.2020

WCA/AD/JTC-2

27.1.21 परामर्शदाता द्वारा यहां पर कोई
उपर्युक्त नहीं। प्रोटोकॉल अपनाया गया।
आज दोहरे दोहरे द्वारा देखा गया विवर
में दोहरे दोहरे द्वारा देखा गया विवर
दिन 09.02.21 को विभिन्न F.O. द्वारा हो।

अग्र

AD/JTC/144/FC

09.02.21 प्राप्त जानकारी के बारे में इसके लिए जानकारी
देखा गया। इस दृश्य समाज के लिए अपनी विभिन्न
संस्थान ग्राहकों जैसे लिए को गणना करने वाली विभिन्न
24.03.2021 को विभिन्न F.O. द्वारा हो।

मनमान राह

प्राप्ति संदेश

8/102

2/8

09.02.2021

(22)

मा. नीति विभाग
स्थानकार्यालय

मानव संसाधनों के विकास, विकास
परिवर्तन एवं विकास
परिवर्तन एवं विकास परिवर्तन
विभाग, जिन्हें अधिकारी विवर
मानव संसाधनों के विकास, 22.4.21 द्वारा
मानव संसाधनों के विकास, 22.4.21 द्वारा

ADMISSIONIFICATE

22.4.21
to / Due to covid-19
3.5.21

18.5.21 Covid-19

2.6.21

18.6.21

7.7.21

7.7.21 योग्यता नहीं है।
इसमें इनकी विवरणों का विवरण
23-7-21 को आवेदन फॉर्म दिया गया।

न्यायिक
जिला एवं राज्य
न्यायिक विभाग, झाँसी
उत्तर प्रदेश।

93
7
91

106
09

मनोदृष्टि
शिक्षा

G

23.7.21 योग्यता नहीं है। इसे बताया गया है।
जिला एवं राज्य न्यायिक विभाग, झाँसी
विभागीय अधिकारी 6-9-21 को दिया।
FO द्वारा दिया।

ADMISSIONIFICATE

8/103

219

06.09.2021 अपार्टमेंट की सेवा

गाड़ी लाई और दूसरी बोर्डिंग तोड़ दिया

पर्सनल की ओर से नियंत्रण करना चाहिए

कि वह उन्हें जानता है कि वह इनका गुणवत्ता का

खुला गाड़ी को नियंत्रित करता है।

लोगों को लाता है तो वह 24.09.2021 की तरीफ

A.O. के द्वारा

06.09.2021

24.09.21

कुकार पर अधिकार नहीं है,

जो वह दूसरी बोर्डिंग की ओर से नियंत्रण

करता है। वह काश भी नहीं है।

पर्सनल द्वारा नियंत्रण किया जाता है।

18.10.21 तक दूसरी बोर्डिंग

9/CS/FTC/14thHC

18
10
21
मनमी इन्हें
दूसरी बोर्डिंग

05
11

18.10.21 कुकार पर अधिकार नहीं है।

जो वह दूसरी बोर्डिंग की ओर से नियंत्रण करता है।

इसकी वजह से वह नियंत्रण करता है।

इसकी वजह से वह नियंत्रण करता है।

05.11.21 तक दूसरी बोर्डिंग

9/CS/FTC/14thHC

23
11

08.11.21 कुकार पर अधिकार नहीं है।

जो वह दूसरी बोर्डिंग की ओर से नियंत्रण

करता है। वह नियंत्रण करता है।

23.11.21 तक दूसरी बोर्डिंग

02
12

8/104

2110

9/CS/FTC/14thHC

संग्रह - 16.8 / 2012
११२११५ नवंबर ३०१२

प्रारंभिक

२३-११-२०१५ योग्य विषयक संग्रह का लिखा गया
१३ अक्टूबर २०१५ की तिथि
१० दिनों के लिए योग्य विषयक
काम के लिए विभिन्न विषयक
नियम - ०१.१०.१० का लिखा गया
१० दिनों के लिए

AS5/PGC1446


प्रारंभिक
दृष्टिकोण

०१२-१२-२१
योग्य विषयक संग्रह का लिखा गया
१३ अक्टूबर २०१५ की तिथि
१० दिनों के लिए योग्य विषयक
नियम - ०१.१०.१० का लिखा गया
१० दिनों के लिए

AS5/PGC1446

प्रारंभिक संदृश्य
दृष्टिकोण

२२-१२-२१ युक्त योग्य विषयक संग्रह का लिखा गया
१३ अक्टूबर २०१५ की तिथि
१० दिनों के लिए योग्य विषयक
नियम - ०६-९-२१९५ का लिखा गया
०६-०१-२२ की तिथि
०६-०१-२२ की तिथि



२८
०१
१२

प्रारंभिक संदृश्य
दृष्टिकोण

प्रारंभिक संदृश्य

०६-१-२२ युक्त योग्य मन्त्रालय विषयक संग्रह
१३ अक्टूबर २०१५ की तिथि
१० दिनों के लिए योग्य विषयक संग्रह
नियम - ०६-९-२१९५ का लिखा गया
०६-०१-२२ की तिथि
०६-०१-२२ की तिथि

AS5/PGC1446

28-1-22

Conc-19

23
12
22

मन्मोहन सिंह

लीटन सिंह

गुरुग्राम जिला बैलोचिस्त
उपरी माध्यमिक विद्यालय
काला गाँव बैलोचिस्त
गुरुग्राम जिला बैलोचिस्त
23-02-2022 (पंचम)
उत्तराखण्ड - 06-09-21 का अधिकार
क्र. 1

25/17014-42

23-2-22


मन्मोहन सिंह
लीटन सिंह

22
3
22

गुरुग्राम जिला बैलोचिस्त
उपरी माध्यमिक विद्यालय
काला गाँव बैलोचिस्त
गुरुग्राम जिला बैलोचिस्त
पंचम - 22-3-22 अधिकार
क्र. 1

25/17014-42

संदेश
अधिकार
ADG/C.



गुरुग्राम जिला
उपरी माध्यमिक विद्यालय
काला गाँव बैलोचिस्त
पंचम - 22-3-22
अधिकार
क्र. 1